(2)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

दशरथ सिंह

बनाम

गजराज इत्यादि

किस्म मुकदमा....225 आर.टी.एक्ट न. 119 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.2023	पत्रावली बाद जाचं होकर कार्यालय से पेश हई। अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 115/2023 अनवान दशरथ सिंह बनाम गजराजसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28.07.2023 के विरूद्ध पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री करणसिंह उपस्थित। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स की सहखातेदारी की भूमि है। अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से उक्त वादग्रस्त आराजी पर काश्त करता आ रहा है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट संख्या एक ने रेस्पोडेंट संख्या नौ को कुछ दिन पहले ही खसरा संख्या 502/2 की भूमि का बेचान कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या नौ मौके पर आकर अपीलांट को बार–बार हैरान परेशान कर रहा है और अपीलांट को अपनी खातेदारी की भूमि में काश्त करने से रोक रहा है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट्स से समझाईश करने के बावजूद भी वे वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाड़ा नही करवा रहे हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़े के दावे के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी हो संरक्षित रखने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं को बखूबी साबित किया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की इस्तदुआ को स्वीकार नहीं किया गया। अतः अपीलांट की इस्तदुआ को स्वीकार फरमाया जावे एवं वाद के अंतिम निस्तारण तक रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 646/1, 798, 957, 502/1, 502/2, 378, 379, 30, 864, 865, व 777/1234 का बेचान/हस्तांतरण नही करे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के दावे के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भिजवाने के आदेश दिये गये तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.07.2023 नियत की गई। उक्त पेशी पर अपीलांट/प्रार्थी की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की ओर से पोस्टल रसीदे पेश नहीं किये जाने का कारण बतलाते हुए उसके निवेदन को अस्वीकार किया जाना पाया जाता है। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में पोस्टल रसीदे पेश नहीं की गई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज नहीं किया जाकर उक्त पेशी पर किये गये निवेदन को खारिज किया गया है तथा अप्रार्थीगण के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भिजवाकर रसीदे पेश करने के निर्देश दिये गये है। लिहाजा अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के आदेश की पालना कर वही चाराजोही कर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेशिका है, के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाना न्यायालय हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलांट्स को हिदायत दी जाती है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करे। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

01.08.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर